

# समाहरणालय, पटना ।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र-VII

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

## अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक- 2357

दिनांक 28/11/18

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु मौजा- मोहिउद्धीनपुरपुर, थाना सं०- 91, अंचल-फतुहा, थाना-फतुहा, जिला- पटना में कुल 3.95 एकड़ भूमि अपेक्षित है।


इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 3.95 एकड़ है और जो मौजा- मोहिउद्धीनपुर, थाना सं०-91, अंचल-फतुहा, थाना-फतुहा, जिला- पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्व भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1.	375	516	रैयती	कृषि	0.05	उमाकांत अभय, सा०- मोहिउद्धीनपुर	516	521, 522	518	515
2.	189	527	रैयती	कृषि	0.36	विजय प्रसाद एवं पारस प्रसाद पिता स्व० दिपनारायण राय, सा०- मोहिउद्धीनपुर	515	527	522	527
3.	375	554	रैयती	कृषि	0.15	विजय प्रसाद एवं पारस प्रसाद पिता स्व० दिपनारायण राय, सा०- मोहिउद्धीनपुर	553	555	528	552
4.	357	651	रैयती	कृषि	0.76	चन्द्रदेव प्रसाद पिता स्व० गंगा प्रसाद, सा०- मोहिउद्धीनपुर	667	650	666	645, 464
5.	433	665	रैयती	कृषि	0.45	सरयुग प्रसाद सिंह एवं कान्ति देवी पति स्व० लाल बाबु यादव, सा०- मोहिउद्धीनपुर	668	664	663	666
6.	456	666	रैयती	कृषि	1.23	राम पदारथ सिंह, सा०- मोहिउद्धीनपुर	667, 668	666	664, 665	651
7.	315	956	रैयती	कृषि	0.95	अर्जुन सिंह वो रघुवीर सिंह वो रामजतन सिंह वो राधिका देवी, सा०- सिकन्दरपुर,	मौजा- सिकन्दरपुर का सिमाना	956 अंश	955 अंश	957 अंश

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग

किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

  
समाहर्ता,  
पटना।